भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2764

दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन

2764. **श्रीमती शांभवी:**

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के शुभारंभ के बाद से मुद्रीकृत परिसंपत्तियों के कुल मूल्य का राज्यवार, क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पाइपलाइन के अंतर्गत मुद्रीकरण कार्यनीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 'ब्राउनफील्ड' अवसंरचना परिसंपत्तियों से मूल्य 'अनलॉक' करने के लिए एनएमपी के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार शहरी नागरिक परिसंपत्तियों, खेल अवसंरचना और डिजिटल अवसंरचना को शामिल करने के लिए एनएमपी के दायरे का विस्तार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार एनएमपी के अंतर्गत अवसंरचना मुद्रीकरण के लिए 'सॉवरेन वेल्थ फंड', पेंशन फंड और बहुपक्षीय एजेंसियों को शामिल करते हुए सह-निवेश मॉडल विकसित करने पर विचार कर ही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के चार वर्षों की अवधि के दौरान 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता वाली परिसंपत्तियां शामिल थीं, जिसमें

से लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई, जिसमें पहले 3 वर्षों के दौरान 3.87 लाख करोड़ रुपए और चौथे वर्ष के दौरान 1.43 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति शामिल हैं। एनएमपी के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों की प्राप्ति (लगभग लाख करोड़ रुपए) में सडक- 1.1, रेलवे- 0.3, विद्युत- 0.5, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस- 0.4, कोयला- 2, पोत परिवहन- 0.2, खान- 0.4 और शहरी- 0.1 शामिल हैं। एनएमपी में मुख्य रूप से आनुक्रमिक परिसंपत्तियां जैसे राजमार्ग, संचरण (ट्रांसमिशन) लाइनें, पाइपलाइनें आदि शामिल हैं जो अक्सर कई राज्यों में फैली होती हैं। एनएमपी के तहत राज्यवार विवरण नहीं रखा जाता है।

एनएमपी में प्रत्यक्ष संविदात्मक मॉडल, संरचित वित्तपोषण मॉडल सहित विभिन्न प्रकार के मुद्रीकरण मॉडलों और साथ ही प्रत्येक मॉडल की विस्तृत विशेषताओं के साथ प्रमुख आवश्यकताओं का विवरण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों के लिए मार्गदर्शन के रूप में प्रत्येक मोड के अंतर्गत सांकेतिक रियायत अवधि, बोली मानदंड और संभावित परियोजनाओं का विवरण देने वाली एक गाइडबुक शामिल थी। एनएमपी में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को लाभान्वित करने में सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक केस स्टडी भी शामिल थी। इसके अलावा परियोजना के दायरे और संरचना जैसे विस्तृत पहलुओं को आम तौर पर मौजूदा दिशानिर्देशों और लागू विनियमों के अनुसार परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार प्रस्तावों का आगे मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में देश के अवसंरचना निर्माण को और तेज़ करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के पुनर्निवेश हेतु एनएमपी 2025-30 शुरू करने की घोषणा की गई। उपर्युक्त लक्ष्य को प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों से पूरा किया जाएगा। मुद्रीकरण का तरीका, ऐसे मुद्रीकरण के लिए बोली लगाने में बोलीदाताओं की भागीदारी हेतु पात्रता आवश्यकताओं का निर्णय परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा परियोजना के प्रकार और संभावित भागीदारी के आधार पर किया जाएगा, जिसके पश्चात् मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अनुमोदन दिया जाएगा।

*****